झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची–834001

संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति

पूर्ण विज्ञापन आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध

पंचम संयुक्त असैनिक सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में सूचना

झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अधियाचित कुल 236 (दो सौ छत्तीस) रिक्त पदों के आलोक में **विज्ञापन संख्या – 06/2013** द्वारा पंचम संयुक्त असैनिक सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु भारतीय नागरिकों से **Online** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं **(नोट :– रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है)।**

विहित अर्हत्ताधारी आवेदक दिनांक 02.08.2013 तक आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Online Application करने के पश्चात् आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति (Print out) की हस्ताक्षरित एक प्रति पेमेंट चालान के "JPSC's Copy" के साथ आयोग के कार्यालय में अंतिम तिथि 12.08.2013 तक निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करा दें ।

उक्त परीक्षा से संबंधित विज्ञापन संख्या – 06/2013 की विस्तृत विवरणी एवं आवश्यक दिशा–निर्देश आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है जिसे पढ़कर ही अभ्यर्थी Online आवेदन समर्पित करेंगे।

ह0/–
सचिव
झारखण्ड लोक सेवा अयोग।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची–834001

विज्ञापन

विज्ञापन संख्या – 06/2013

ऑनलाइन (Online) आवेदन करने की अंतिम तिथि–02.08.2013

मुद्रित (Printout) हस्ताक्षरित प्रति आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि–12.08.2013

(झारखण्ड लोक सेवा आयोग पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा)

झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अधियाचित निम्नांकित राजपत्रित पदों के लिए अर्हत्ताधारी भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन (Online) विहित–प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. रिक्त पदों का विवरण:–

SL. No.	Services	Total vacancies	UNR	ST	SC	OBC*	BC-I	BC-II	Women reserved seat	Other: Sports/ Ex-Serviceman	Handicapped reserved		
											Blind	Dumb/Deaf	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	झारखण्ड प्रशासनिक सेवा	91	62	10	08	-	11	00	05%	02	01	01	01
2	झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा	41	18	08	05	-	02	08	-	-	-	-	-
3	झारखण्ड वित्त सेवा	38	27	09	02	-	00	00	UNR-03 ST-01	UNR-02 ST-01	-	UNR-01 SC-01	-
4	झारखण्ड राज्य कारा सेवा	09	06	02	01	-	00	00	-	-	-	-	-
5	झारखण्ड श्रम सेवा	20	10	05	02	-	02	01	-	-	-	-	-
6	झारखण्ड प्रोबेशन सेवा	29	18	08	02	01*	-	-	-	-	-	-	-
7	झारखण्ड उत्पाद सेवा	08	04	03	-	-	01	-	-	-	-	-	-
	योग	236	145	45	20	01	16	09	Horizontal Reservation				

नोट:– कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

*** प्रशासी विभाग से स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है।**

2. वेतनमान:–

झारखण्ड प्रशासनिक सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 5400
झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 5400
झारखण्ड वित्त सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 5400
झारखण्ड राज्य कारा सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 5400
झारखण्ड श्रम सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 5400
झारखण्ड प्रोबेशन सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 4800
झारखण्ड उत्पाद सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 4200

3. **शैक्षणिक योग्यता:**–(क) आवेदक के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था/मान्यता–प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में स्नातक उपाधि अथवा समतुल्य योग्यता होना अनिवार्य है। (ख) प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा हेतु पुनः विहित प्रपत्र में सभी प्रमाण–पत्रों की विवरणी के साथ आवेदन पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा।
(ग) प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन–पत्रों में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

4. **उम्र गणना की तिथि:**–कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक–5653 दिनांक 25.06.2013 के आलोक में पांचवी संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता प्रतियोगिता परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के उम्र की गणना का **cut off date 01.08.2009** होगा।

5. **उम्र सीमा**:– (क) अनारक्षित– अधिकतम 35 वर्ष।
(ख) अनु0जनजाति एवं अनु0जाति (पुरूष एवं महिला)– अधिकतम 40 वर्ष।
(ग) पिछड़ा वर्ग (BC-II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I) – अधिकतम 37 वर्ष।
(घ) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग (BC-II) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I)– अधिकतम 38 वर्ष।

नोटः–

(i) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा, झारखण्ड राज्य कारा सेवा एवं झारखण्ड प्रोबेशन सेवा के लिए न्यूनतम उम्र 22 वर्ष निर्धारित है।

(ii) झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा, झारखण्ड उत्पाद सेवा पद के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष तथा झारखण्ड वित्त सेवा एवं झारखण्ड श्रम सेवा हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित है।

(iii) झारखण्ड राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो उनको अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 (पांच) वर्षों की छूट दी जायेगी।

(iv) विकलांग उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 (पांच) वर्षों की छूट दी जायेगी।

6. **अवसरों की संख्याः**–(1) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 2959 दिनांक 03.04.2013 द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों को निम्न रूप से रखा गया है–

(क) अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए	– चार अवसर
(ख) पिछड़ी/अत्यन्त पिछड़ी जाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए	– पांच अवसर
(ग) महिला(अनारक्षित, पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए	– छः अवसर
(घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए	– अवसरों की कोई सीमा नहीं।

(2) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं0–5653 दिनांक 25.06.2013 द्वारा वैसे उम्मीदवार जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया था और उन्हें सफलता नहीं मिली थी, उन उम्मीदवारों के लिए उन दोनों परीक्षाओं में बैठने के अवसरों की गणना उक्त निर्धारित अवसरों की सीमा के लिए नहीं की जायेगी।

(3) उम्र गणना की तिथि एवं उक्त कण्डिका (2) में अंकित छूट मात्र पांचवी संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मान्य होगी।

7. **आरक्षण का लाभः**–

(क) ऑनलाइन (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।**

(ग) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माने जायेंगे। झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I) तथा पिछड़ा वर्ग (BC-II)** के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से क्रमशः विभागीय पत्रांक–5682 दिनांक 22.10.2008 एवं विभागीय ज्ञापांक–10007 दिनांक 29.08.2012 द्वारा झारखण्ड राज्य के गठन के बाद का निर्धारित विहित प्रपत्र–I अथवा प्रपत्र–II में, का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रमाण पत्रों के उल्लेख करते समय यह सावधानी अवश्य बरती जाए कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन में उल्लेखित प्रमाण पत्रों को ही मुख्य परीक्षा के आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

(घ) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक 12.09.2007 द्वारा श्रेणी–II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा।

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमीटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	विश्व रिकार्ड

(ड.) विकलांग कोटे के आरक्षण के दावे की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प–7281 दिनांक 07.11.2007 के आलोक में केवल ऐसे उम्मीदवार सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो तथा आरक्षण का लाभ उठाने हेतु संकल्प की अनुबंध–1 में दिए गए प्रारूप में सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (विहित प्रारूप आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है)।

8. **चिकित्सकीय जाँचः**– नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होने की अनिवार्यता रहेगी और सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता के मापदण्ड के अनुरूप होना होगा। उन्हें वैसे सभी चिकित्सकीय जाँचो में उत्तीर्ण होना होगा, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

9. **झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा, झारखण्ड कारा सेवा, झारखण्ड उत्पाद सेवा तथा झारखण्ड प्रोबेशन सेवा के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता**–

(क) अनारक्षित/पिछड़ा तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों की न्यूनतम लम्बाई–165 से0मी0।

(ख) अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों की न्यूनतम लम्बाई–162से0मी0।

(ग) अनारक्षित/पिछड़ा तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लम्बाइ–155 से0मी0 तथा अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लम्बाई–152 से0मी0।

(घ) सामान्य एवं पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 81 से0मी0 तथा अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के पुरूष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 79 से0मी0 होगी। महिलाओं उम्मीदवारों के लिए सीना का माप नहीं होगा।

10. **झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय जाँच की माप परिशिष्ट–क में निर्धारित है।**

(परिशिष्ट–क)

पुलिस उपाधीक्षक के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय जाँच की माप निम्न प्रकार निर्धारित की जाएगीः–

उम्मीदवारों के लिए नीचे संक्षिप्त रूप में दिये गये निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुरूप स्वस्थ होना आवश्यक होगाः–

क) शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए।

ख) उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्ववृत नहीं चाहिए।

ग) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए तथा रक्तदाब सामान्य हो।

घ) शारीरिक अपंगता न हो।

ड.) उम्मीदवार Claw Hand से ग्रसित न हो।

च) उम्मीदवार एच0आई0वी0 मुक्त हो।

छ) पुरूष उम्मीदवार को दूर–दृष्टि चार्ट में प्रत्येक आँख से ऐनक सहित या ऐनक रहित 6/6 चाहिए।

ज) उम्मीदवार को वर्णांधता (Colourblindness) एवं निशांधता (Nightblindness) न हो।

झ) रूटीन ई0सी0जी0 तथा ई0ई0जी0 सामान्य सीमा में हो।

ञ) उम्मीदवार का श्रवण क्षमता सामान्य हो।

ट) हाईड्रोसील, बेरिकोसिल या पाईल्स का रोग नहीं होना चाहिए।

ठ) चर्म का ऐसा रोग, जिससे अशक्तता अथवा विकृति होने की संभावना हो तो उससे भी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी।

परीक्षा का स्वरूपः–

11. **प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा (लिखित एवं साक्षात्कार) आयोजित की जायेगी**

(A) प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के दो पत्र निम्न प्रकार होंगेः–

(I) General Studies Paper-I

- (i) History of India and Indian National Movement
- (ii) India and World Geography
- (iii) Indian Polity and Economy
- (iv) History, Geography, Economy and Culture of Jharkhand

(II) General Studies Paper-II

- (i) General Science
- (ii) General Mental Ability
- (iii) Current Events of State, National and International Importance

प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा **वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय** होगी। प्रश्न–पत्र देवनागरी एवं रोमन लिपि में होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की समय–सीमा 2–2 घंटे की होगी। परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त समय 20 मिनट प्रति घंटा दिया जायेगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा–तिथि के कम से कम 15 दिन पूर्व आयोग को इस विषय में सूचित करना अनिवार्य होगा, जिससे वैसे अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा–केन्द्र के चयन में असुविधा न हो तथा उन्हें श्रुतिलेखक उपलब्ध कराया जा सके।

(B) मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषय :–

विषय कोड	विषय
01.	सामान्य हिन्दी 100 अंक का
02.	सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र–1, 200 अंक का
03.	सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र–2, 200 अंक का

टिप्पणीः– सामान्य हिन्दी में प्राप्त लब्धांक अन्य लिखित पत्रों और व्यक्तित्व परीक्षण के लब्धांकों में नहीं जोड़ा जायेगा, लेकिन जो उम्मीदवार अनिवार्य सामान्य हिन्दी पत्र में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त नहीं करेंगे वे लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।

उपर्युक्त अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित वैकल्पिक विषय होंगे। **उम्मीदवार केवल दो विषय ही ले सकते हैं, किन्तु किसी भी हालत में भाषा और साहित्य में एक से अधिक विषय नहीं ले सकते हैं।**

विषय कोड एवं विषय

04 कृषि विज्ञान
05 पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान
06 मानव विज्ञान
07 वनस्पति विज्ञान
08 रसायन विज्ञान
09 सिविल इंजीनियरिंग
10 वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि
11 अर्थशास्त्र
12 विद्युत इंजीनियरिंग
13 भूगोल
14 भू–विज्ञान
15 इतिहास
16 श्रम एवं समाज कल्याण
17 विधि
18 प्रबन्धन
19 गणित
20 यांत्रिक इंजीनियरिंग
21 दर्शनशास्त्र
22 भौतिकी
23 राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
24 मनोविज्ञान
25 लोक प्रशासन

विषय कोड एवं विषय

26 समाज शास्त्र
27 सांख्यिकी
28 प्राणी विज्ञान
29 हिन्दी भाषा साहित्य
30 अंग्रेजी भाषा साहित्य
31 उर्दू भाषा और साहित्य
32 बंगला भाषा और साहित्य
33 संस्कृत भाषा और साहित्य
34 उड़िया भाषा और साहित्य
35 चिकित्सा विज्ञान
36 वानिकी
37 संथाली भाषा और साहित्य
38 मुण्डारी भाषा और साहित्य
39 खड़िया भाषा और साहित्य
40 हो भाषा और साहित्य
41 कुडुख भाषा और साहित्य
42 नागपुरी भाषा और साहित्य
43 कुरमाली भाषा और साहित्य
44 खोरठा भाषा और साहित्य
45 पंचपरगनिया भाषा और साहित्य

नोटः– उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एक साथ लेने की अनुमति नहीं है –

1. (क) राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध तथा लोक प्रशासन
   (ख) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि तथा प्रबन्धन
   (ग) मानव विज्ञान तथा समाज शास्त्र
   (घ) गणित तथा सांख्यिकी
   (ङ.) कृषि विज्ञान, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वानिकी एवं वनस्पति शास्त्र
   (च) प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन
   (छ) भूगोल तथा भूगर्भ शास्त्र
   (ज) इंजीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी एवं यांत्रिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं ।
2. **झारखण्ड श्रम सेवा हेतु श्रम और समाज कल्याण विषय को अनिवार्य विषय के रुप में मुख्य परीक्षा में चयन करना होगा।**
3. भाषा विषयों यथा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, उड़िया, संस्कृत, जनजातीय भाषा में यदि उम्मीदवार चाहें तो किसी एक भाषा को रख सकते हैं।
4. प्रत्येक वैकल्पिक विषय के दो पत्र होंगे तथा प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा।
5. प्रत्येक प्रश्न–पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा।
6. सभी भाषेत्तर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी लिपि में से किसी एक भाषा में उत्तर दिया जाना है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी। परीक्षार्थी के द्वारा चयनित लिपि माध्यम देवनागरी या रोमन (अंग्रेजी) विषयवार बदलने की छूट नहीं होगी।
7. प्रश्न–पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल तकनीकी शब्दों/वाक्यांशों/उधृत अंशों के यदि कोई है, विवरण उनके द्वारा चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपान्तरण दे सकते हैं।
8. उम्मीदवार को अपने प्रश्न–पत्र के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में इनके लिए दूसरे की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी (दृष्टिहीन आवेदकों को आयोग की पूर्वानुमति से लेखक उपलब्ध करायें जायेंगे)
9. परीक्षा के सभी विषयों में कम–से–कम शब्दों में की गई संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा।
10. प्रश्न–पत्रों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो माप–तौल से सम्बन्ध प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे।
11. उम्मीदवार प्रश्न–पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (जैसे– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) का ही प्रयोग करें।
12. उम्मीदवार वस्तु पूरक प्रश्न पत्रों (प्रश्न पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अतः वे इसे परीक्षा भवन में नहीं लायें।
13. **मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण होगा जो 200 अंकों का होगा।**
14. मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का मानक लगभग वही होगा जो झारखण्ड के विश्वविद्यालयों के तीन वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है।
15. मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का एक बार किया गया चुनाव अंतिम होगा किसी भी हालत में बदला नहीं जायेगा।

12. परीक्षा का न्यूनतम अर्हतांकः–

(क) सामान्य वर्ग–40% (ख) पिछड़ा वर्ग–36.5% (ग) पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-I–34% (घ) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग–32%।

न्यूनतम अर्हतांक का उपर्युक्त रूप में निर्धारण सभी सेवाओं/संवर्गो की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न आरक्षण कोटियों के लिए सभी लिखित परीक्षाओं (वस्तुनिष्ठ/विषयनिष्ठ) पर समान रूप से लागू रहेगा। अन्तर्वीक्षा (साक्षात्कार) के लिए उक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

13. रिक्त कोटिवार कुल पदों की **12–13 गुणा संख्या** में प्रारंभिक परीक्षा के न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थियों को मेधाक्रमानुसार मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा एवं मुख्य परीक्षा मे सफल घोषित होने वाले अभ्यर्थियों में से कोटिवार रिक्तियों की **ढाई से तीन गुणा संख्या में** अभ्यर्थियों को अन्तर्वीक्षा में बुलाया जायेगा।

14. **अपवादः–** वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

15. परीक्षा शुल्कः–

(i) सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग– I एवं पिछड़ा वर्ग– II के लिए चालान द्वारा State Bank of India के किसी भी शाखा के माध्यम से 400.00 रू0 परीक्षा शुल्क + 17.50 रू0 Online Application शुल्क + 50.00 रू0 बैंक चार्ज, **कुल–467.50 रू0** एवं झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 200.00 रू0 परीक्षा शुल्क + 17.50 रू0 Online Application शुल्क + 50.00 रू0 बैंक चार्ज, **कुल–267.50 रू0** देय होगा।

(ii) Offline Payment के लिए चालान आयोग के वेबसाईट– www.jpsc.gov.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है।

(iii) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है, परंतु ऑनलाइन (Online) शुल्क 17.50/– रू0 एवं बैंक शुल्क 50/– रू0 देय होगा।

(iv) चालान की एक प्रति "jpsc's copy" ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र के Printout (मुद्रित प्रति) के साथ मूल रूप में निश्चित रूप में संलग्न करें तथा तीसरी प्रति "depositor's copy" अपने पास सुरक्षित रखें।

16. (A) <u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश</u>

(क) प्रारंभिक परीक्षा हेतु Online मुद्रित प्रति के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। मुद्रित प्रति के साथ केवल चालान की "jpsc's copy" को मूल रूप में संलग्न करना है।

(ख) प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी।

(ग) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरते समय सभी प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा प्रारंभिक परीक्षा में दी गई सूचना तथा मुख्य परीक्षा में दी गई सूचना में भिन्नता होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(घ) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा। Online आवेदन स्वीकृत किए जाने के उपरांत मुद्रित (printout) आवेदन प्रपत्र की हस्ताक्षरित एक प्रति Payment Challan के "jpsc's copy" के साथ आयोग कार्यालय को अंतिम तिथि तक Speed post/Registered post प्राप्त करा दिया जाए।

(ङ.) **ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, "How to apply" अवश्य पढ़ें।**

(च) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में समेकित करेंगे एवं मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया–प्रति संलग्न करेंगे।

(छ) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।

(ज) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(झ) आवेदक अपने नाम, पिता का नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।

(ञ) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।

(ट) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खेलकूद संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(ठ) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ड) Online Application की मुद्रित प्रति भेजने वाले लिफाफे के ऊपर **<u>विज्ञापन संख्या–06/2013 तथा पंचम संयुक्त असैनिक सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा</u>** <u>मोटे अक्षरों में अवश्य अंकित करें</u>।

(ढ) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

17. **अंतिम तिथि–**

(क) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र Online Application System के माध्यम से **दिनांक 02.08.2013 संध्या 5.00 बजे** तक तथा Printout आयोग कार्यालय को दिनांक–**12.08.2013** तक केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निश्चित रूप से परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची–834001 को अवश्य प्राप्त करा दें।

(ख) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

सचिव

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची।

झारखण्ड सरकार

<u>प्रपत्र–I</u>

....

(कार्यालय का नाम)

<u>जाति प्रमाण पत्र</u>
(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :–..................................   तिथि :–......................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला.. डाकघर...थाना..जिला...राज्य........................ ....अनुसूचित जाति */अनुसूचित जनजाति * श्रेणी के अन्तर्गत ....जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति */अनुसूचित जनजाति * के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा...शहर...जिला..राज्य........................... ....में निवास करते हैं।

स्थानः–

तिथिः–

उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम..

पदनाम..

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जन जाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

————————

प्रपत्र–II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री..ग्राम/शहर.. थाना..जिला..झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली है, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछडा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त...समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक–10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0(एस.सी.टी.) दिनांक–08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं है।

स्थान :–
तिथिः–

उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम..
पदनाम...
(कार्यालय की मुहर)

(नोटः–जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ)
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक–05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक–24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008 एवं 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक–01.08.2011, 5826 दिनांक–19.09.2011, 697 दिनांक–26.09.2011, 6580 दिनांक–20.10.2011, 8060 दिनांक–17.12.2011 एवं 144 दिनांक–06.01.2012, 2855 दिनांक–27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

अनुबन्ध–1

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं. .... तारीख ....

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधियत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .... आयुक्त .... लिंग .... पहचान चिन्ह .... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त –

क. गति विषयक (लोकोमीटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बाहें (बी ए) – दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए) – दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांक (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मास पेशियां (एम डब्ल्यू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(i) बी – अंधापन

(ii) पी बी – आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी – बधिर

(ii) पी डी – आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .... वर्षों .... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।
3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत .... है।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी .... अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है :—

(i) एफ — अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती है। हाँ/नहीं
(ii) पी पी — धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं/ हाँ/नहीं
(iii) एल — उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(iv) के सी — घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(v) बी — झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(vi) एस — बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(vii) एस टी — खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(viii) डब्ल्यू — चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(ix) एस ई — देख कर कार्य सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(x) एच — सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं
(xi) आर डब्ल्यू — पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(डॉ ....)	(डॉ ....)	(डॉ ....)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची — **Bank's Copy** — भारतीय स्टेट बैंक

Jharkhand Public Service Commission, Ranchi — State Bank of India. Branch Code____________

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

5th Combined Civil Services (PT) Competitive Exam-2013

Advertisement. No. –06/2013

SBI Branch Name: - ____________________

SBI ACCOUNT NO.	3	3	0	8	7	8	8	0	7	1	6

SBI Branch Code: 12623

SBI JOURNAL NO. # / ____________

Day ____ Month ____ Year ________

1. Name of Examination: - ____________________
2. Name of the Candidate: - ____________________
3. Tick Mark the Reservation Category: - Handicapped ☐
   UNR ☐ SC ☐ ST ☐ BC-I ☐ BC-II ☐
4. Fee :- (1) Examination Fee – Rs. ___.00
   (2) Online Application Charges- Rs. *17.50
   (3) Bank Charges – Rs. *50.00
   (4) Total – Rs. ___.__

Total Amount (In Word):- Rs ____________________

Note: - All printout of online application are to be submitted to JPSC, Ranchi by Speed Post/Registered Post only.

PM/SPM/Teller's Signature & Seal — Depositor's Signature

Note: - SBI BRANCHES TO CONTACT ON HELPLINE NO. 651-2561166, 9430730500, 9431587970 IN CASE ANY QUERY IN THIS REGARD.

Abbreviations used: - BC-I – Backward Class-I, BC-II – Backward Class-II, SC – Scheduled Caste, ST – Scheduled Tribe

* Strike out the option (s) not applicable.

\# Instruction for SBI Branches.

(i) Journal No. should be strictly mentioned at the appropriate place in challan.
(ii) "Advertisement No" should be fed into CB Screen under "Registration/Ref. No."
(iii) Name of candidate should be mentioned under Head "Name of the Candidate"

JPSC Website: - www.jpsc.gov.in OR www.jpscoas.sifvitest.com

झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची — **JPSC's Copy** — भारतीय स्टेट बैंक

Jharkhand Public Service Commission, Ranchi — State Bank of India. Branch Code____________

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

5th Combined Civil Services (PT) Competitive Exam-2013

Advertisement. No. –06/2013

SBI Branch Name: - ____________________

SBI ACCOUNT NO.	3	3	0	8	7	8	8	0	7	1	6

SBI Branch Code: 12623

SBI JOURNAL NO. # / ____________

Day ____ Month ____ Year ________

1. Name of Examination: - ____________________
2. Name of the Candidate: - ____________________
3. Tick Mark the Reservation Category: - Handicapped ☐
   UNR ☐ SC ☐ ST ☐ BC-I ☐ BC-II ☐
4. Fee :- (1) Examination Fee – Rs. ___.00
   (2) Online Application Charges- Rs. *17.50
   (3) Bank Charges – Rs. *50.00
   (4) Total – Rs. ___.__

Total Amount (In Word):- Rs ____________________

Note: - All printout of online application are to be submitted to JPSC, Ranchi by Speed Post/Registered Post only.

PM/SPM/Teller's Signature & Seal — Depositor's Signature

Note: - SBI BRANCHES TO CONTACT ON HELPLINE NO. 651-2561166, 9430730500, 9431587970 IN CASE ANY QUERY IN THIS REGARD.

Abbreviations used: - BC-I – Backward Class-I, BC-II – Backward Class-II, SC – Scheduled Caste, ST – Scheduled Tribe

* Strike out the option (s) not applicable.

\# Instruction for SBI Branches.

(i) Journal No. should be strictly mentioned at the appropriate place in challan.
(ii) "Advertisement No" should be fed into CB Screen under "Registration/Ref. No."
(iii) Name of candidate should be mentioned under Head "Name of the Candidate"

JPSC Website: - www.jpsc.gov.in OR www.jpscoas.sifvitest.com

झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची — **Candidate's Copy** — भारतीय स्टेट बैंक

Jharkhand Public Service Commission, Ranchi — State Bank of India. Branch Code____________

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

5th Combined Civil Services (PT) Competitive Exam-2013

Advertisement. No. –06/2013

SBI Branch Name: - ____________________

SBI ACCOUNT NO.	3	3	0	8	7	8	8	0	7	1	6

SBI Branch Code: 12623

SBI JOURNAL NO. # / ____________

Day ____ Month ____ Year ________

1. Name of Examination: - ____________________
2. Name of the Candidate: - ____________________
3. Tick Mark the Reservation Category: - Handicapped ☐
   UNR ☐ SC ☐ ST ☐ BC-I ☐ BC-II ☐
4. Fee :- (1) Examination Fee – Rs. ___.00
   (2) Online Application Charges- Rs. *17.50
   (3) Bank Charges – Rs. *50.00
   (4) Total – Rs. ___.__

Total Amount (In Word):- Rs ____________________

Note: - All printout of online application are to be submitted to JPSC, Ranchi by Speed Post/Registered Post only.

PM/SPM/Teller's Signature & Seal — Depositor's Signature

Note: - SBI BRANCHES TO CONTACT ON HELPLINE NO. 651-2561156, 9430730500, 9431587970 IN CASE ANY QUERY IN THIS REGARD.

Abbreviations used: - BC-I – Backward Class-I, BC-II – Backward Class-II, SC – Scheduled Caste, ST – Scheduled Tribe

* Strike out the option (s) not applicable.

\# Instruction for SBI Branches.

(i) Journal No. should be strictly mentioned at the appropriate place in challan.
(ii) "Advertisement No" should be fed into CB Screen under "Registration/Ref. No."
(iii) Name of candidate should be mentioned under Head "Name of the Candidate"

JPSC Website: - www.jpsc.gov.in OR www.jpscoas.sifvitest.com